

17/2016

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर:



AT 456432

राजेंद्र

"ऊँ"

ड्रस्ट-बॉर्ड

मे राजेंद्र प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व० कुलकन्दन जायसवाल निवासी ग्राम भीखपुर पो० पैकीली बाजार तह० जलालपुर जि० अम्बेडकरनगर का मूल निवासी हूँ। मेरे पिता स्व० कुलकन्दन जायसवाल की बड़ी ही शारीरिक इच्छा थी कि वह एक ट्रस्ट कायम करें जिससे समाज सेवा एवं शिक्षा का उत्थान हो सके और ग्रामीण परिवेश के स्टीम शान-छात्रों को भी उत्तम स्तर का एवं आधुनिक शिक्षा प्राप्त कराया जा सके। निराई लिये वे अन्ततः गणमान्य व्यक्तियों से सहायता एवं सहायता किया करते थे। इसलिये उनकी इच्छा भी पूरी हेतु **"राजेंद्र जायसवाल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट"** बनाने का संकल्प लिया है। मैं ईश्वर की कृपा एवं अपने पिता स्व० कुलकन्दन जायसवाल की प्रेरणा से प्रेरित होकर आज दिनांक-... को इस ट्रस्ट की घोषणा करती हूँ। इस शुभ कार्य के लिए मुझे 2000/- रुपये इस ट्रस्ट को समर्पित किये हैं। जो इस ट्रस्ट की स्थायी निधि होगी। ट्रस्ट की कोई भी वस्तु का बंधन सम्पत्ति नहीं है। इस ट्रस्ट का नाम कर्पोरेट, कर्पोरेट, कर्पोरेट, कार्य एवं कार्यालय निम्न प्रकार होगी।

1. ट्रस्ट का नाम : **राजेंद्र जायसवाल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट**
2. ट्रस्ट का पता : **ग्राम भीखपुर पो० पैकीली बाजार तह० जलालपुर जि० अम्बेडकरनगर (3020)**
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण भारत वर्ष।**

राजेंद्र प्रसाद (जायसवाल)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आचार्य/एच० कार्याक्रम शिक्षा योजना एवं परिवार नियंत्रण
योजना द्वारा आयोज्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी
कार्यक्रमों को सम्पादित करना एवं विद्युत्क संचालित
अभ्यास, परिवार कल्याण कार्यक्रमों जैसा कि राज्य मंत्र की
आज्ञा के तहत टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व उपचार करना।
राष्ट्रीय शिक्षण पद्धति का संचालन तथा प्रसार-प्रसार
करना।

11. पुस्तकालय, परिवारण संशोधन आदि कार्यक्रम एवं उत्तमों द्वारा
संचालित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान प्रदान
करना।
12. समाज के निम्न वर्गों को आरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों में
अपना कल्याण तथा उनके स्वस्थ जीवन के लिए सुविधाएं
आरक्षण अर्थों का प्रदान करना।
13. प्राथमिक अथवा दो लोगों के आरक्षण हेतु रोज और मासिक
योग्य शिक्षण, स्वास्थ्य इत्यादि का समय-समय पर
विद्युत्क प्रदान करना।
14. प्राथमिक स्वास्थ्य, आरक्षण नियंत्रण, प्राथमिक आवास तथा
आरक्षण एवं आरक्षण सम्बन्धी परिशिष्टों का संचालन
करना तथा कम आय के आवास निर्माण सम्बन्धी संचालन
सदस्यों की नवीनतम जानकारी प्राथमिक अर्थों की उपलब्धि
तक पहुँचाना।
15. दूरस्थ द्वारा प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा आयोज्य
करना।

— 3 —

बाबा उस्मान (आमसवाल)

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15

81 456631

1. इस द्वारा प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृत प्रयोगिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धनात्मक शिक्षा, कृषि शिक्षा, आदि को प्रोत्साहित हेतु भारत में प्रबन्धनात्मक व्यवस्था करना।
2. इस द्वारा विधवा-शिक्षा व दलित शैक्षणिक शिक्षा तथा सामुदायिक शिक्षा के लिए सनातन को सहायता-प्रणयनीय व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्ति करना एवं प्रोत्साहित करना।
3. इस द्वारा विद्यार्थी परिषद व युष्क/युवाश्रम व मातृ/शालाश्रमों के लिए संतुलित व्यवस्थापना तथा सर्वोत्तम के मातृशाला को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना।
4. इस द्वारा सनातन शालाओं एवं शैक्षणिकों को आर्थिक-सहायता देने के लिए उच्च, आधुनिक सम्पूर्ण, राष्ट्रीय, शैक्षणिक आदि का प्रोत्साहन कार्य करना।
5. इस द्वारा युवा अनाथ तथा अल्प शैक्षणिक एवं पुरुषों हेतु प्रोत्साहन, सहायता एवं आर्थिक व्यवस्था एवं संभालना करना।
6. इस द्वारा प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक विभाग का प्रयास करना। नदियों जलाशयों को सर्वोत्तम शैक्षणिक प्रवृत्ति को सुचारु, सुव्यवस्थित आदि से कार्य करना।
7. इस द्वारा शैक्षणिकों को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिकता विधि बनाना, विविध विद्यार्थी सम्बन्धी योजनाएँ बनाना, शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ कर संचालन करना।
8. इस द्वारा भारत प्राचीन विद्यार्थी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को संचालन करना। शैक्षणिक कार्य सम्बन्धी राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में कार्य करना, उपयुक्त प्राचीन शैक्षणिकों के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय सोशल एजेंसी को सच में कार्य करना।

भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 456695

33. दूरत द्वारा समाजोत्थान हेतु संघर्षित्वी, अधिपत्तियों आदि का आयोगन करना एवं बलाओं के कल्याण हेतु समूह-समय न राज्य सरकार/संघ, संघजन द्वारा प्रस्तावित जाने वाली विविध योजनाओं का अनुमोदन में प्रचार प्रसार करना।
34. दूरत द्वारा प्राचीन व राष्ट्रीय विरासत तथा राष्ट्रीयत्व का संरक्षण के संघ की समुदायों में से निर्धारित में संरक्षण करना तथा विरासत, शीत, संरक्षण एवं उत्तराधिकार के समाधान हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक बाल आदि का निर्माण एवं एवं प्रचार व प्रसंग करना।
35. दूरत द्वारा संघर्षित्वों के विषय विविध वचनित विचार अभिवान करने हेतु संघर्षित्वी व हीर उद्योगों प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर उन्हें प्रशिक्षण देना व प्रशिक्षण केंद्र व्यवस्था करने हेतु आर्थिक सहायता देना तथा महिलाओं के लिए सरकारी स्थापना में प्रोत्साहन करना तथा महिला/दलित महिला के काम का समर्थन करना।
36. दूरत के धर्म में विशेषज्ञ बुद्धिजीवियों द्वारा विचार प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को बुद्धि अधिक ज्ञान का कार्य प्राचीन विचारों की उपयोगिता के साथ व जानकारी देने का कार्य करना। नृत्य के संरक्षण को बढ़ावा देना एवं संरक्षण के लिए उनकी संरचना तथा उत्तराधिकार को स्थायी करने के माध्यम पर कार्यक्रम का समर्थन करना।

गणेश प्रसाद उपाध्याय

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH**

ST 456697

- इसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण निरीक्षण, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य का निरीक्षण विधेय रखने हेतु आवश्यक प्रसार-प्रसार माध्यम अभियान, सांख्यिक परिवर्धन का उपयोग करना तथा समस्त वर्गों की प्रति हेतु सुचना विज्ञान तथा परिवार के माध्यम से सुदूर जाती तक परिवार कल्याण कार्यकर्ता को पहुँचाने का कार्य करना एवं विशुद्ध आत्मिक सुविधा प्रदान करना।
41. इसके द्वारा राष्ट्रीय/राज्य/एच.पी. की नियंत्रित करण तथा सहायक रोज़गार का प्रचार करना और राष्ट्रीय एच.पी. नियंत्रण समिति से बीच अधिक से अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करना, परस-परिचय अभियान का कार्य करना।
42. इसके द्वारा राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मजिस्ट्रेट, जंगल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, जलसंयोजक, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विधवा, बर्ध, व अतिरिक्त विस्थापित व मजदूरी/प्रवासी श्रमिकों को तब सम्मद साहायता व प्रशिक्षण देना।
43. इसके द्वारा राष्ट्रीय फौज मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत सुयोग्य को नियंत्रण एवं सहायता के लिए जागरूकता अभियान/प्रचारित सम्बन्धी जानकारी देना एवं किसानों/श्रमिकों का योग्य/प्रचारित सम्बन्धी देशभर पर विशेष बात एवं अनुसूचित को व्यवस्था सम्बन्धित तथा प्रसार-प्रसार करना।
44. इसके द्वारा विभिन्न समितियों में जायसी कार्यकाय स्थपित करना हेतु अन्य-सांख्यिक कार्यकर्ता का उपयोग करना व जनसंख्या में प्रचार प्रसार करना।

-8-

शांति प्रसार आसनाम

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 456698

- 45. दूरत द्वारा कृषि का विविधीकरण करने पर प्रशिक्षण के द्वारा उत्पादन-योग्य को बढ़ावा भूमि संवर्धन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र संवर्धन, जलसंधारण तथा नदी संरक्षण का प्रारंभ व प्रसार-प्रसार करना।
- 46. दूरत द्वारा शक्तिशाली एवं, खनिज एवं, निरक्षर एवं, अल्पवर्ण, महिला एवं, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति आदिवासी, मजदूर एवं एवं नगरीय स्त्री एवं वर्ग को उत्तरी हेतु तकनीकी, शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, योग्यता व रोजगार, अध्यापन प्रयोग को प्रोत्साहन करना तथा संवर्धन करना।
- 47. दूरत द्वारा स्वच्छ कलात्मक सामाजिक न्याय एवं अतिव्यक्तिगत विचार महिला समाज, नरक, शिक्षा, पुनर्वास, सामुदायिक, सार्वजनिक, बुनियादी, विद्युत, आधार, नगरपालिका विकास संसाधन मंचालय, परिवार, शिक्षण एवं स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक संवर्धन आयोग, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, दाखिले, युवा, युवा, अल्पसंख्यक संवर्धन आयोग, छात्री प्रत्यक्षीय बोर्ड, छात्री प्रत्यक्षीय आयोग से सभी प्रकार की परिशोधनाओं/कार्यक्रमों को प्रारंभ करना।
- 48. दूरत द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण एवं शिक्षा निर्देशन एवं प्रसार-प्रसार एवं संवर्धन करना। प्रदूषण रोकथाम परिशोधनाओं की व्यवस्था निर्माण एवं संवर्धन करना, बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/जिलों को संवर्धन करना।

राज्य उत्पाद आयोग



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 456699

49. दफ्त द्वारा कर्मों की अधिकतर संख्या को समाप्त की कार्यक्रमों का नियंत्रण व प्रबन्धन करना जिसमें प्रथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पीपल, स्वच्छ पर्यावरण, आवास व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन एवं सुखा का सामाजिक प्रदान करने का सुदूर दायित्वों तथा व्यवस्था करना।
50. दफ्त द्वारा सभी देरी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एवं संस्था प्रदान द्वारा जारी सभी कार्यों/परियोजनाओं को प्रबन्धन, अनुष्ठापन, सुव्यवस्थापन, शोध, विश्लेषण, सूचकेन्द्रित एवं संयोजन व निर्देशन के रूप में सम्पन्न कराना तथा कार्यकारी शिक्षण योजना का आयोजन व संचालन करना, अनुसूची प्रशिक्षण व वैज्ञानिकों के सहायक को उपलब्ध करना।
51. दफ्त द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सीवर, सफाई जल निष्कासक का निर्माण व संचालन करना तथा समस्त सफाई अभियान का संचालन करना।
52. दफ्त द्वारा सार्वजनिक हेतु शिक्षा, पीपल, आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे आधारभूत आवश्यकताओं का सुखान, संरक्षण तथा उनको प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।
53. दफ्त द्वारा सफाई व कौशल सुशिक्षण, रुढ़िवादी विचारों, अंधविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रथम-जंशर का आयोजन करना।
54. दफ्त द्वारा नि: शुल्क प्रौढ अभिलेखाधी सेवा उपलब्ध कराना, सरकारी शिक्षण योजना को संचालन व संचालन करना।

-10-

राजेश कुमार (राजसखिल)

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उपरोक्त प्रॉब्लम

सर्वोच्च न्यायालय के लिए 12.50 रुपये, 10/25 व 35 रुपये के अनौपचारिक सिग्नेचर वाले प्रॉब्लमों को प्रदान करना।

55AC 919746

कार्यवाही अधिनियम 1987 के तहत गैर न्यायिक प्रॉब्लमों का प्रदान करना।

12. ट्रस्ट के प्रदायिकाधिकारों के अधिकार व कार्यवाही -
निम्नलिखित ट्रस्टों/संस्थानों

1. सभी प्रकार के बैंकों की कार्यवाही करना।
2. बैंक में शक्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. सम्पत्ति नष्ट होने पर एक निर्वाहक पत्र देना।
4. ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
5. ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी बनना।
6. सदस्यों की नामांकन पत्र पर विचार करने तथा नये सदस्यों को बनाना।
7. विल एवं वादापत्तियों पर हस्ताक्षर करना।
8. कार्यवाहियों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवाशुक्ति करना।
9. पारित बजट के अनौपचारिक व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
10. सम्बन्धित संस्थाओं/एजेंसियों/विभागों/संस्थानों से संबंधित समस्त प्रश्नों पर हस्ताक्षर करना।
11. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
12. ट्रस्ट का कार्यालयी प्रबंध देखना।
13. ट्रस्ट के सदस्यों एवं कार्यवाहियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना।
14. तथा विपदा के मुकामों की देखभाल करना।
15. बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
16. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों से निराकरण करना।

आपका उत्साह, हमारे सपने हैं

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH **55AC 919747**

- समाप्त, खासतः कर्मचारियों को शामिल होकर उनके परिवारों को शामिल करने पर परिवर्तन, परिवर्तन करना।
18. ट्रस्ट को छोटी प्रत्येक कमेटी/युनिट (जिसमें प्रत्येक प्रकल्प भी कमेटी/युनिट शामिल है) का सहायक एव प्रबन्ध करना।
 19. ट्रस्ट के द्वारा के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना जैसा कि कानून की अनुमति देता।
 20. प्रशासनिक कार्यों को दायित्वों का निर्वाहन करना।
 21. ट्रस्ट द्वारा उचित तब एव उचित सम्पत्ति को देख-रेख व सुरक्षा करना।

कीर्तिका :

1. ट्रस्ट को बैठकों को सूचना ट्रस्ट की समस्याओं को विविध रूप में देना।
2. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
3. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
4. ट्रस्ट की कार्यवाही विविध करना।
5. बैठक का एजेन्डा तैयार करना।
6. ट्रस्ट की बैठकों की सूचना ट्रस्ट की समस्याओं को विविध रूप में देना।
7. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
8. ट्रस्ट की आठ-दश का लेखा जीका रखना।

ब्राह्मण प्रसाद आम्सवाल

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश: UTTAR PRADESH

55AC 919748

9. ट्रस्ट के विकास हेतु धन-अनुदान सेवा, संपन्नता शुल्क प्राप्ति, कर्ज तथा समानो वधावधि रसीद सेवा।
10. मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित किलो का मुद्रांक करना।
11. अपरकलानुसार अडिट करना व अपनी रिपोर्ट से मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर को अवगत करना।
12. बैंक खाते का संभालन संयुक्त हस्ताक्षरों से करना।
18. ट्रस्ट के अधिकार - ट्रस्ट के समस्त अधिकार जैसे - सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बैंक बुक एवं अन्य अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर को प्राप्त होगा।
19. ट्रस्ट का कोष - ट्रस्ट का कोष किसी भी भाषणा द्वारा व राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खता खोलकर जमा किया जावेगा जिसका आह्वान मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर व कोषाध्यक्ष को संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।
20. ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/अडिट - ट्रस्ट के आय-व्यय का परीक्षण/अडिट किसी योग्य अडिटर द्वारा वर्ष में एक बार करवाया जायेगा जिसकी नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

ब्रह्मेन्द्र प्रसाद (जामलखान)

-17-

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

55&C 919749

21. ट्रस्ट द्वारा जन्मा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संरक्षण का उत्तरदायित्व—
ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैदा मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर जन्मा उनके द्वारा अविधि गणित/व्यक्तिगत द्वारा की जाएगी।
22. दायित्व—
ट्रस्ट की प्रत्येक अर्थों की जन्मा उसकी उपस्थिति एवं मुक्ता का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक-पृथक रूप से होता और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जन्माट से देने तथा यह दायित्व जन्मा जन्मागी तक बना रहता।
23. ट्रस्ट का विघटन—
ट्रस्ट में विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इस अन्तर्गत तब होती कि यदि ट्रस्ट सम्पत्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति से जन्मा की जन्मागी व अकार्य कार्य का निस्तारण पदाधिकारियों/सदस्यों की सहमति से की जाएगी।

बालेन्द्र प्रसाद जाधवदास

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

इस प्रतीक का उपयोग केवल न्यायिक प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।
 इस प्रतीक का उपयोग केवल न्यायिक प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।
 (जिनका इस प्रतीक में काटने पर सजा दी जाएगी।)

1	श्रीमन्त प्रसाद जयसवाल पुत्र श्री श्री सुखराम जयसवाल	संस्थापक इन्स्टी / मैजिस्ट्रेट	प्रा. बी. ए. प्रो. पी. ए. सी. कानून वि. अम्बेडकरनगर	समाजसेवक
2	श्रीमती श्रीमती जयसवाल पत्नी श्री श्रीमन्त प्रसाद जयसवाल	कोषाध्यक्ष	प्रा. बी. ए. प्रो. पी. ए. सी. कानून वि. अम्बेडकरनगर	समाजसेविका
3	श्रीमती जयसवाल पुत्री श्री श्री सुखराम जयसवाल	सदस्य	प्रा. बी. ए. प्रो. पी. ए. सी. कानून वि. अम्बेडकरनगर	समाजसेविका

श्रीमन्त प्रसाद जयसवाल

श्रीमती श्रीमती जयसवाल
श्रीमती जयसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

55AC 919751

समाप्त प्रमाण प्रस्ताविका नं. १०९/१०९
कलहिका लाल गोस्वामी, गांव - मकसपुर
जिला - अजमेर, जिला - जयपुर जिला -
सवाई मदनपुर

समाप्त दिनांक _____
प्रमाणित २६/०५/२०१६
समाप्त प्रमाण प्रस्ताविका नं. १०९/१०९
सु. प्रमाण प्रस्ताविका नं. १०९/१०९
नं. १०९

दिनांक - १ - ५ - २०१६



समाप्त
राजेश प्रसाद भागवत

40
23-04-2016

103
श.सं. 25

असम
राज्य
राज्य विद्यापीठ सं. 55
असम राज्य विद्यापीठ
आचार्य अशोक कुमार

राज्य विद्यापीठ सं. 04/05/2016 के
पृष्ठ सं. 4 विद्यापीठ सं. 12
पृष्ठ सं. 183 से 222 पर कलम 10

राज्य विद्यापीठ सं. 04/05/2016 के

राज्य विद्यापीठ सं. 04/05/2016 के



राज्य विद्यापीठ सं. 04/05/2016 के
राज्य विद्यापीठ सं. 04/05/2016 के
राज्य विद्यापीठ सं. 04/05/2016 के